

FORM III

फर्द अहकाम

(नियम - 28)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

कप्तान गजराज बनाम भूमिधारी

कदमा दावा बाबत घोषणा व रिकार्ड दुरुरती मु0नं0 15) सन् 2025 जीसीएमएस नं. 2025/288

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस हुकम  
की तामील  
में जारी हुए

रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकिल वादी श्री राजेन्द्र सिंह  
बौधरी उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादी की तलबी  
जरिये सम्मन की जाकर एवं तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट  
प्राप्त होने हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.06.2025 को पेश हो।

राजस्व  
उपलब्ध  
नीमकाथाना (राज.)

06/06

पत्रावली पेश हुई। वकिलाप उप०। फावली वास्ते पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 06/06/25 को पेश हो।

19/08/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप०। प्रतिवादी की  
तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक  
तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी के विरुद्ध एकपक्षीय  
कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। तहसीलदार नीमकाथाना  
से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई।  
प्रकरण में बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस  
वकील वादी ने मुताबिक अनुतोष दावा डिक्री फरमाने का  
निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,  
संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त  
तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं वकील  
वादी की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूकि  
वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम "कल्पेश पुत्र  
श्रवणसिंह" दर्ज हैं जबकि वादी का नाम "कल्पेश पुत्र  
श्रवणसिंह" की जगह "कप्तान गजराज पुत्र श्रवण  
गजराज" सही होना बताया हैं। उक्त तथ्य की पुष्टि  
संलग्न दस्तावेजात यथा- आधार कार्ड, जन आधार कार्ड,  
प्रशासक ग्राम पंचायत चला का प्रमाण पत्र, माध्यमिक  
शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट तथा तहसीलदार नीमकाथाना से  
प्राप्त रिपोर्ट से होती हैं। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार  
किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार  
किया जाकर प्रकरण में घोषणा इस आशय की जारी की  
जाती हैं कि:-

## आदेश

तन ग्राम चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1157, 1158 कुल किता 02 कुल रकबा 0.85 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम "कल्पेश पुत्र श्रवणसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "कप्तान गजराज पुत्र श्रवण गजराज" दुरुस्त किया जाता हैं। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी,

नीमकाथाना

# डिक्री मुकदमा इबतदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)  
बइजलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. कप्तान गजराज पुत्र श्री श्रवण गजराज जाति जाट निवासी चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-वादी

बनाम

1. भूमिधारी जरिये तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर राज।

-प्रतिवादी

## दावा बाबत घोषणा एवं रिकार्ड दुरुस्ती मुकदमा नं. 151 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी श्री राजेन्द्र सिंह चौधरी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरू ..... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि तन ग्राम चला तहसील नीमकाथाना जिला सीकर अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख. नं. 1157, 1158 कुल किता 02 कुल रकबा 0.85 है0 में वादी का गलत दर्ज नाम "कल्पेश पुत्र श्रवणसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "कप्तान गजराज पुत्र श्रवण गजराज" दुरुस्त किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

.निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....का अदा करें। बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19 माह 08 सन् 2025 को जारी की गई।

दस्तखत.....  
ओहदा.....

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।